







## BEFORE THE BOARD OF REVENUE MADHYA PRADESH

**GWALIOR** 

Case No.

/2017 Revision

R0932-I-17

Petitioner

ारा आज दि.....

वलर्क ऑफ कोर्ट एजरव मण्डल माप्र ग्वालियर

311-810-4 M

Respondents

Gafur Khan, S/o- Shri Kantu Khan,
Age- 50 Years, Occupation-Labour
R/o- Village Malanpur, District
Bhind

Vs

- State of Madhya Pradesh through
   Tehsildar Gohad District Bhind
- Sub Divisional officer Gohad District Bhind

REVISION UNDER SECTION 50 OF MADHYA PRADESH LAND
REVENUE CODE 1959 AGAINST ORDER DATED 27-12-2016
PASSED IN CASE NO. 17/2016 APPEAL PASSED BY SDO GOHAD
DISTRICT BHIND WHEREBY THE SDO DISMISSED THE
APPLICATION UNDER SECTION 52 OF THE MPLRC

The humble applicant most respectfully submits his revision application as under:-

1. That, the facts of the case are that the applicant who is a labour and permanent residents at Village Malanpur residing in a house which

7



## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

	जनुपृत्ति आयस मृ	- भिण्ड
प्रकरण	क्रमांक - निगरानी-232-एक/17	पक्षकारों एवं अभिभाषकों
ग्रान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर	* "
	उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व	
	संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब	
	नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा	
	54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के	
	विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण	
	सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में	
	सुनवाई हेतु दिनांक र्य-४-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष	
	उपस्थित हों।	
	उपस्थित हो।	
	प्रशासकीय सदस्य	1
		-
		* *

 That, the facts of the case are that the applicant who is a labour and permanent residents at Village Malanpur residing in a house which